राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.22(253) परि/प्रवर्तन/ओवरलोड/2015/28546 जयपुर, दिनांक :-21-11-201

आदेश

प्रदेश में खनन इकाईयों, सीमेन्ट फैक्ट्रियों एवं क्रेशर इत्यादि से निरन्तर ओवरलोड भार के निर्गमन को दृष्टिगत रखते हुए ओवरलोड भार के संचालन पर प्रभावी रोकथाम हेतु समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्र में ऐसी समस्त खनन इकाईयों, सीमेन्ट फैक्ट्रियों एवं क्रेशर इत्यादि के समीप यथोचित बिन्दु पर परिवहन निरीक्षक के नेतृत्व में एक अस्थायी चौकी स्थापित करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थापित अस्थायी चौकी पर ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध कार्यालय आदेश 6/2010 दिनांक 05.02.2010 एवं आदेश 7/2018 दिनांक 19.02.2018 की अनुपालना में ओवरलोड भार संचालित करने वाले भार वाहन के परमिट के विरूद्ध अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत निलम्बन/निरस्त करने, ओवरलोड परिवहन करने वाल वाहन चालक का लाईसेंस अयोग्य (Revoke) करने एवं भार वाहन को ओवरलोड भार ढोने में सक्षम बनाने के लिए नियम विरूद्ध परिवर्तन करने/निर्धारित संख्या से कम क्रियाशील एक्सेल पाये जाने पर पंजीयन निलंबन करने एवं अधिनियम 1988 की धारा 199 के अन्तर्गत सभी संबंधितों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रति 7 दिवस में उक्त अस्थायी चौकी स्टॉफ मय प्रभारी रोटेशन से बदला जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक :– प.22(253) परि/प्रवर्तन/ओवरलोड/2015/28547-50 जयपुर, दिनांक :–21-11-201

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय), परिवहन विभाग, जयपुर।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....।
4. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)

Scanned by CamScanner